

ताराख  
कुम्भ

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

(21)

2006/14

D.3.

आर०डी० मीणा, सदस्य

कमला अलारिया, सदस्य

06/08/21


पत्नील अपीलान्त व अपीलान्त को बार-बार आवाजे लगावार् गई। क्षावाजे लगावार् के बावजूद कोई भी उपस्थित नही।

क्षत: पत्रावली अडम हाजरी व अडम पैरवी में

श्वारिज को जाती है। पत्रावली बाद कार्रवाई

ट्रायल दफ्तर है। कोर्टा खुले न्यायालय में

खुनाया गया।



सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान  
आजमेर



सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान  
आजमेर